फर्द अहकाम

संतोष कुमार बनाम मोनू कुमार

नाम न्यायालय

केस संख्या 18/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि
		साक्ष्य कराकर साक्ष्य बंद कर दिये जाकिये	
	6/8/25	पत्रावली पेश हुई साक्ष्य वादी हेतु अब के 6 मौके दिये जा चुके हैं अंतिम अवसर दिया जाता है। अन्यथा ता० ता० पेशी [illegible] साक्ष्य कराकर बन्द साक्ष्य बंद ही बंद हो जाकिये पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 20/8/25 को पेश हो।	
	20/8/25	पत्रावली पेश हुई साक्ष्य वादी के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद वादी द्वारा साक्ष्य नहीं कराए गए हैं। अ साक्ष्य वादी बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक 10/9/25 को पेश हो।	
	10/9/25	पत्रावली पेश हुई कोई पक्ष० उप० नहीं है। आज दिनांक को पक्ष०/पक्ष० अधिवक्ता उप० नहीं है। पक्ष० की उप० के लिए आज न्यायालय के तीन-2 बार आवाजे लगवाई जिसकी कोई उप० नहीं हुआ अतः पत्रावली O-9, R-3 के तहत खारिज पेश की, खारिज हाजिरी के खारिज करार जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो दर्ज रजिस्टर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल